

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

'प्रभावी पैरवी कर **दुष्कर्म करने वाले** अभियुक्त को **10 वर्ष** के **कठोर कारावास व ₹22,000** के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 350/2018 धारा-452,354,376,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय F.TC.-1/GST/NDPS Act जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 1.अभियुक्त वीरेन्द्र विश्वकर्मा उर्फ छोटू पुत्र महेश्वरीदीन नि0 ग्राम टेढ़ा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹22,000 के अर्थदंड से दिण्डत किया गया।



एडीजीसी श्री राजेश कुमार तिवारी



विवेचक-एसओ अखिलेश यादव



पैरोकार- थाना सुमेरपुर का0 जगत सिंह